राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2661/2016/जयपुर.
2. अपील संख्या – 2662/2016/जयपुर.
3. अपील संख्या – 2663/2016/जयपुर.
4. अपील संख्या – 2664/2016/जयपुर.
5. अपील संख्या – 2665/2016/जयपुर.
6. अपील संख्या – 2666/2016/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ग्लोबल इंफोनेट डिस्ट्रिब्यूशन प्रा0 लिमिटेड,
बी–50ए, सुदर्शनपुरा इण्ड. एरिया, 22 गोदाम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन. के. बैद, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 259, 260, 261, 262, 263 व 264/अ.प्रा.–।।/आरवीएटी/जयपुर/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वैट अधिनियम की धारा 25/26, 55, 61 व 65 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर कुछ बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2014 को व्यवहारी का सर्वेक्षण कर व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये मोबाईल/लेपटॉप के बैटरी चार्जर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा0 लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 17.12.2014** के परिप्रेक्ष्य में इसे मोबाईल एवं लेपटॉप का पार्ट न मानकर एसेसरी मानते हुए 5 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत से करारोपण करने के आदेश किये गये एवं व्यवहारी द्वारा विभिन्न वर्षों में टेबलेट की बिक्री को 5 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत से कर योग्य इस आधार पर माना गया कि टेबलेट वैट अधिनियम की कर अनुसूची–चतुर्थ के पार्ट–बी की प्रविष्ठि संख्या–3 के तहत आच्छादित न होकर यह अनुसूची–पंचम के अनुसार 12.5/14/14.5 प्रतिशत की दर से निर्धारण योग्य है क्योंकि टेबलेट को उनके द्वारा कम्प्यूटर की श्रेणी में कवर होना नहीं माना गया है।

4. इन सभी वर्षों के कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा निस्तारित करते हुए यह निर्णय दिया गया कि टेबलेट की की गई बिक्री कम्प्यूटर की श्रेणी में ही सम्मिलित योग्य है, जिस पर 5 प्रतिशत से करदेयता ही लागू योग्य है तथा लेपटॉप एवं मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल एवं लेपटॉप की एसेसरी मानते हुए 15 प्रतिशत से किये गये करारोपण की पुष्टि की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की इस प्रार्थना को स्वीकार किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं उनमें मोबाईल/लेपटॉप/टेबलेट एवं उनके कवर्स आदि की बिक्रियों की गणना त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल गणना के बिन्दु पर पुनः जांचकर उचित गणना किये जाने के निर्देश देते हुए प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें केवल दो बिन्दुओं पर प्रस्तुत की गयी हैं – (i) कि टैबलेट पर कर दर 5% निर्णीत कर अपीलीय प्राधिकारी ने विधिक त्रुटि की है, तथा (ii) कि पुनर्गणना के बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना अनुचित है।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा टेबलेट की बिक्री को 5 प्रतिशत के तहत कर योग्य माना जाना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अनुसूची–चतुर्थ के पार्ट–बी की प्रविष्ठि संख्या–3 में उल्लेखित प्रविष्ठि "Computer system & Peripherals [computer printers exclusind multifunctional devices] & electronic diarieis." जो कि दिनांक 6.3.2013 तक उक्त प्रविष्ठि में अंकित थे, के अनुसार इसमें टेबलेट सम्मिलित नहीं होने से इस पर 5 प्रतिशत से करदेय माना जाना अविधिक बताते हुए इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने इसी तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी वर्षों में की गई बिक्री के माल, किस्म, ब्राण्ड, मात्रा, मूल्य, आदि में संधारित रिकॉर्ड से पुनः जांच कर वस्तुवार वास्तविक बिक्री के निर्धारण हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं होना बताया क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त जांच के पश्चात् ही कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था, अतः पुनः जांच हेतु किये गये आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है बल्कि उनके द्वारा न्यायहित में कर निर्धारण अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश में पुनः जांचकर बिक्रियों के उचित निर्धारण हेतु जो निर्देश दिये गये हैं, वह न्यायसंगत हैं क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त सभी परिस्थितियों में बिक्री राशियों की जो गणना की गयी है वह त्रुटिपूर्ण थी एवं केवलमात्र यह अनुरोध किया गया था कि उनकी बहियात की जांच की जाकर प्रत्येक वस्तुवार बिक्री राशियों का निर्धारण करते हुए करारोपण की कार्यवाही की जावे, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है, उसको विवादित किया जाना उचित नहीं है बल्कि कर निर्धारण अधिकारी को यह आदेश दिये जाने का अनुरोध किया कि वह इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र जांचकर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

8. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि टेबलेट की बिक्री को कम्प्यूटर की श्रेणी में मानते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश किये गये हैं, इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व में ही किये गये आदेश से पुष्टि की जा चुकी है अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील को खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

10. हस्तगत प्रकरणों में राजस्व द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में दो बिन्दुओं पर चुनौती दी गयी है। प्रथम बिन्दु यह है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा टेबलेट की बिक्री को कम्प्यूटर की श्रेणी में माना जाना विधिसम्मत नहीं है। इस बिन्दु पर विचार किया गया। टेबलेट की बिक्री पर कर दर सम्बन्धी विवाद पर राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 817–822/2016/जयपुर मैसर्स इन्द्रा स्विच बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 18.01.2018** में पूर्ण विवेचन के साथ यह अवधारित किया जा चुका है कि टेबलेट, कम्प्यूटर की श्रेणी में ही सम्मिलित योग्य है अतः इस बिन्दु पर कर बोर्ड के निर्णय के आलोक में अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

लगातार.....4

11. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील में दूसरा बिन्दु पुनः गणना हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के सम्बन्ध में है, इस पर विचार किया गया। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण से पूर्व बिक्री राशियों के सम्बन्ध में जो गणना की गयी थी उसमें विवाद के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचन के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुए बिक्रीत वस्तुओं की श्रेणी एवं वस्तुवार गणना करने के निर्देश दिये हैं, जो पूर्णतया उचित ही नहीं, बल्कि न्यायहित में व्यवहारी की बहियात की जांच की जाकर वास्तविक बिक्रियों पर करारोपण किया जाना विधिक अनिवार्यता है। फलतः, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को केवल गणना हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई भूल नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय निर्देशों की पालना करते हुए अतिशीघ्र पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

12. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत सभी छः अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य